

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय जिला अजमेर

(लेखासीन अधिकारी राजेन्द्र सिंह शेखावत)

आर.ए.एस.

द्वारक सं. 15/2018

1. बापू मार्बल एण्ड सेनाईट प्रा. लि. जसिचे आगरेक्टर हस्तीमल पुत्र श्री शंकरलाल चपलोट जाति महाजन निवासी एन.एच. 8 टाकुरगढ राजनगर जिला राजसमंद

वादी

बनाम

1. राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह जाति महाजन निवासी राममालिया तहसील भिनाय जिला अजमेर
2. जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह जाति महाजन निवासी राममालिया तहसील भिनाय जिला अजमेर
3. राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह जाति महाजन निवासी राममालिया तहसील भिनाय जिला अजमेर
4. पांचू पुत्र श्री कल्याण जाति खारोल निवासी राममालिया तहसील भिनाय जिला अजमेर
5. गोपाल पुत्र कल्याण जाति खारोल निवासी राममालिया तहसील भिनाय जिला अजमेर
6. नन्दू पत्नि श्री मीटू
7. पांचू पुत्र श्री मिटू
8. गणपत पुत्र श्री मिटू
9. हेमराज पुत्र श्री मीटू
10. रतन पुत्र श्री मिटू
11. सुखपाल पुत्र श्री मिटू
12. परसराम पुत्र श्री मिटू
13. रामप्यारी पुत्री श्री मिटू
14. मथुरा पुत्री श्री मिटू
15. काली पुत्री श्री मिटू तमाम जाति जाट निवासी जसवन्तपुरा तहसील सरवाड जिला अजमेर
16. जसपाल सिंह पुत्र श्री रामसिंह जाति जाट सिख
17. बदसाल सिंह पुत्र स्व. कृपालसिंह जाति जाट सिख
18. संदीप सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह जाति जाट सिख निवासीगण पंजाबी मोहल्ला हनुमानगढ
19. श्रीमति छोटी पत्नि श्री रामनाथ खारोल निवासी राममालिया तहसील भिनाय जिला अजमेर
20. गोविन्द पुत्र श्री रामनाथ खारोल निवासी राममालिया तहसील भिनाय जिला अजमेर
21. तहसीलदार महोदय, भिनाय तहसील कार्यालय भिनाय जिला अजमेर

प्रतिवादीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 188, 92ए, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम


वादी ने इस वाद में सारांक्षतः निवेदन किया है कि ग्राम राममालिया पटवार हल्का राममालिया, भू. अभिलेख निरीक्षक धांतोल तहसील भिनाय जिला अजमेर स्थित आराजीयात खाता सं. 65 में दर्ज खसरा नं. 914 रकबा 272 है 0 भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 5 की संयुक्त आराजी हैं जिसमे वादी का 1/4 हिस्सा निहित है। इसी प्रकार अन्य खाता सं. 316

में दर्ज खसरा नं. 899 रकबा 2.36, 900 रकबा 0.58, 901 रकबा 0.63, 914 रकबा/2675 रकबा 0.30, 915 रकबा 0.20 किता 5 रकबा 4.07 हैं० भूमि प्रतिवादी सं. 6 लगायत 18 व वादी की संयुक्त खातेदारी आराजीयात हैं एवं खसरा नं. 913 रकबा 0.92 में प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 को 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 4 लगायत 5 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 19 लगायत 20 का 11/92 हिस्सा एवं वादी का 12/92 हिस्सा निहित हैं। वादी उक्त समस्त संयुक्त आराजीयात का विभाजन करवाना चाहता है जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न न हो। इस हेतु न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी गण का विधिवत विभाजन कर अलग-अलग खाते कायम करें। प्रकरण दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस न्यायालय में तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत : न्याय आपके द्वार-2018 के तहतज ग्राम पंचायत राममालिया में पेश हुई। वादीस्वयं उपस्थित। प्रतिवादी गण सं. 4, 5, 19, 20 उपस्थित। अन्य पक्षकारान नोटिस तामिली के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुए। पैरोकार सरकार उपस्थित। वादी ने बैंच सदस्यों के समक्ष उपस्थित होकर जमाबंदी अनुसार दर्ज हिस्सा अनुसार काबिज काश्त होने का निवेदन करते हुए बंटवारा किए जाने का अनुरोध किया। उपस्थित पक्षकारान ने बंटवारा किए जाने पर सहमति जाहिर की। पैरोकार सरकार ने जवाब पत्र प्रस्तुत कर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार योग्य मानते हुए विधिवत बंटवारा किये जाना स्वीकार किया। पैरोकार सरकार ने अवगत कराया कि प्रश्नगत आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी आराजीयात हैं। जिसमें जमाबंदी खाता सं. 65 व 64 में पक्षकारान का हिस्सा पूर्व में ही दर्ज है एवं खाता सं. 316 में बंटवारा किया जाना है। अतः वाद स्वीकार योग्य होने से आदेश पारित किया जाना न्यायहित में बताया। बैंच सदस्यों द्वारा उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। लोक अदालत की भावना का सम्मान करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार एवं मजमें आम में रायशुमारी पश्चात् बैंच सदस्यों द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है। एवं तहसीलदार भिनाय को आदेश दिए जाते है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 20 के मध्य आराजीयात खाता सं. 65 में दर्ज खसरा नं. 914 रकबा 2.72 हैं० खाता सं. 316 में दर्ज खसरा नं. 899 रकबा 2.36, 900 रकबा 0.58, 901 रकबा 0.63, 914 रकबा/2675 रकबा 0.30, 915 रकबा 0.20 किता 5 रकबा 4.07 हैं० भूमि एवं खाता सं. 64 में खसरा नं. 913 रकबा 0.92 भूमि का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवारा कर पृथक-पृथक लगान व खाते कायम करने की प्राथमिक डिक्री कायम की जाती है। यथानुसार तहसीलदार भिनाय बंटवारा कर बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 11.05.2018 को लोक अदालत शिविर में सुनाया गया।


सदस्य
लोक अदालत
उपखण्ड-भिनाय


सदस्य
लोक अदालत
उपखण्ड-भिनाय


अध्यक्ष
लोक अदालत
उपखण्ड-भिनाय

प्रारंभिक डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओं 20 रूल्स 3 व 7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम भिनाय व अजलास राजेन्द्र सिंह शेखावत (आर.ए.एस)

बापू मार्बल बनाम गजेन्द्र सिंह वगै० पूर्ण उनवान पुस्त पर दर्ज हैं

दावा अन्तर्गत धारा 188, 92ए, 53 राज० काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नं. 15/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कई रूबरू श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री देवकान्त व्यास व पैरोकार सरकार मिनजामिन मुद्दई रूबरू..... मिनजामिन मुद्दालह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री दी जाकर तहसीलदार भिनाय को आदेश दिए जाते हैं कि उभयपक्षकारान के मध्य मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर रिकॉर्ड अनुसार हिस्से का बंटवारा कर पृथक-पृथक लगान व खाते कायम करें। यथानुसार तहसीलदार भिनाय बंटवारा कर बंटवारा प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत करें। खर्चा पक्षकारान् अपना-अपना वहन करेंगे।

निजी.....X..... मबलिक..... X..... बाबत्..... X..... खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलीयत तक..... X..... को अदा करें।

वसूलियाव तक X..... को अदा करें।


बसखत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11.05.18 को डिक्री की जाती हैं।

दस्तखत.....

ओहदा.....

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दालह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	-	-	स्टाम्प अर्जी दावा	-	-
स्टाम्प वकालत नामा	-	-	स्टाम्प वकालत नामा	-	-
स्टाम्प वजह सबूत	-	-	महन्ताना वकील	-	-
महन्ताना वकील	-	-	खर्चा गवाहान	-	-
खर्चा गवाहान	-	-	फीस कमीशनर	-	-
फीस कमीशनर	-	-	बाबत् इजराय हुक्मनामा	-	-
बाबत् इजराय हुक्मनामा	-	-			
मुतफरिक	-	-	मुतफरिक	-	-
मिजान			मिजान		

नोट:- इस खर्चा के फार्म पर दी फरीकेन चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।


उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र सिंह शेखावत)
आर.ए.एस.


प्रकरण सं. 15/2018

1. बापू मार्बल एण्ड ग्रेनाईट प्रा. लि. जरिये डायरेक्टर हरतीमल पुत्र श्री शंकरलाल चपलोत जाति महाजन निवासी एन.एच.8 ठाकुरगढ राजनगर जिला राजसमंद वादी

बनाम

1. गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह जाति महाजन निवासी राममालिया तहसील भिनाय जिला अजमेर
2. जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह जाति महाजन निवासी राममालिया तहसील भिनाय जिला अजमेर
3. राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह जाति महाजन निवासी राममालिया तहसील भिनाय जिला अजमेर
4. पांचू पुत्र श्री कल्याण जाति खारोल निवासी राममालिया तहसील भिनाय जिला अजमेर
5. गोपाल पुत्र कल्याण जाति खारोल निवासी राममालिया तहसील भिनाय जिला अजमेर
6. नन्दू पत्नि श्री मीटू
7. पांचू पुत्र श्री मिटू
8. गणपत पुत्र श्री मिटू
9. हेमराज पुत्र श्री मीटू
10. रतन पुत्र श्री मिटू
11. सुखपाल पुत्र श्री मिटू
12. परसराम पुत्र श्री मिटू
13. रामप्यारी पुत्री श्री मिटू
14. मथुरा पुत्री श्री मिटू
15. काली पुत्री श्री मिटू तमाम जाति जाट निवासी जसवन्तपुरा तहसील सरवाड जिला अजमेर
16. जसपाल सिंह पुत्र श्री रामसिंह जाति जाट सिख
17. बदसाल सिंह पुत्र स्व. कृपालसिंह जाति जाट सिख
18. संदीप सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह जाति जाट सिख निवासीगण पंजाबी मोहल्ला हनुमानगढ
19. श्रीमति छोटी पत्नि श्री रामनाथ खारोल निवासी राममालिया तहसील भिनाय जिला अजमेर
20. गोविन्द पुत्र श्री रामनाथ खारोल निवासी राममालिया तहसील भिनाय जिला अजमेर
21. तहसीलदार महोदय, भिनाय तहसील कार्यालय भिनाय जिला अजमेर

प्रतिवादीगण


उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

डिक्री मुकदमा इब्तादाई

(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम भिनाय व अजलास राजेन्द्र सिंह शेखावत (आर.ए.एस)

बापू मार्बल बनाम गजेन्द्र सिंह वगैरह

दावा अन्तर्गत धारा 188, 92ए, 53 रा.का.अधि.

मुकदमा नं. 15/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कई रूबरू राजेन्द्र सिंह शेखावत (आर.ए.एस.) व देवकान्त व्यास व पैरोकार सरकार मिनजामिन मुद्दई रूबरू..... मिनजामिन मुद्दालह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का दावा स्वीकार किया जाता है तथा वादी को विवादित आराजी जो पुस्त पृष्ठ पर अंकित अंकित हैं इसमें सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है और तहसीलदार भिनाय को आदेश दिये जाते हैं कि पुस्त पृष्ठ पर विवादित आराजी के विभाजनानुसार पक्षकारान के नाम नामान्तकरण दर्ज करवा कर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करावें।

निजी.....X.....मबलिक..... Xबाबत्..... X
खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलीयत तक..... X को अदा करें।

वसूलियाव तक Xको अदा करें।


बसखत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11.05.2018 को अंतिम डिक्री की जाती हैं।

दस्तखत.....

ओहदा.....

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	—	—	स्टाम्प अर्जी दावा	—	—
स्टाम्प वकालत नामा	—	—	स्टाम्प वकालत नामा	—	—
स्टाम्प वजह सबूत	—	—	महन्ताना वकील	—	—
महन्ताना वकील	—	—	खर्चा गवाहान	—	—
खर्चा गवाहान	—	—	फीस कमी नर	—	—
फीस कमी नर	—	—	बाबत् इजराय हुक्मनामा	—	—
बाबत् इजराय हुक्मनामा	—	—			
मुतफरिक	—	—	मुतफरिक	—	—
मिजान			मिजान		


नोट:- इस खर्चा के फार्म पर दी फरीकेन चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।


उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

बंटवारा प्रस्ताव देखें गये उभय पक्षान को कोई आपत्ति नहीं अतः प्रस्ताव स्वीकार किये जाते हैं तथा कुल लगान रु. 38.90 का 15 गुणा रु. 583.50/- पर राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार -2018 में वाद पर अंतिम डिक्री निम्न प्रकार पारित की जाती है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान रु.
1	गजेन्द्र सिंह, जितेन्द्र सिंह, राजेन्द्र सिंह पि. कल्याण कौम महाजन सा. देह	913/1	0.44	बारानी-1	
		914/1	1.38	बारानी-1	
	कुल किता-2		1.82		9.45
2	पंचू गोपाल पि. कल्याण, नन्दू कमला, चिन्ता काली, फुटर पुत्रियां कल्याण जाति खारोल सा. देह खातेदार	914	0.91	बारानी-1	
	कुल किता-1		0.91		4.55
3	छोटी देवी पत्नि रामनाथ, गोविन्दराम पुत्र रामनाथ, चम्पा पुत्री रामनाथ जाति खारोल सा. देह	913	0.11	बारानी-1	
	कुल किता-1		0.11		4.55
4	बापू मार्बल एण्ड ग्रेनाईट्स प्रा. लि. जयें डायरेक्टर हस्तीमल पुत्र शंकरलाल चपलोट कौम महाजन सा.एन.एच.8 ठाकुरगढ राजनगर जिला राजसमन्द	899	2.042	बारानी-1	
		915	0.20	बारानी-1	
		914/2675	0.20	बारानी-1	
		914/2	0.43	बारानी-1	
		913/2	0.37	बारानी-1	
	कुल किता-5		3.242		16.21
5	नन्दू पत्नि मिठू पांचू गणपत, रतन, हेमराज, परशुराम, सुखपाल पि. मिठू, रामप्यारी मथरा, काली, पुत्रियां मिठू कौम जाट सा. जसवन्तपुरा तह. सरवाड खातेदार	900/1	0.396	बारानी-1	
		899/1	0.318	बारानी-1	
		914/2675/1	0.10	बारानी-1	
	कुल किता-3		0.814		4.07
6	जसपाल सिंह पुत्र रामसिंह, परमजीत कौर पत्नि कृपाल सिंह, दिलशाद सिंह पुत्र कृपाल सिंह, जसपाल कौर, जसवीर कौर पुत्रियां रामसिंह, संदीप सिंह पुत्र दर्शनसिंह कौम जट सिख सा. पंजाबी मौहल्ला हनुमानगढ जिला हनुमानगढ खातेदार	901	0.63	बारानी-1	
		900	0.184	बारानी-1	
	कुल किता-2		0.814		4.07

तहसीलदार भिनाय यथा डिक्री अमल दरामद करावें।


अखण्ड अधिकारी
 भिनाय (अजमेर)